UPJS010034942026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), झाँसी।

उपस्थितः–अनुभव द्विवेदी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ० कोड–यू०पी० 1637

फौजदारी प्रकीर्णवाद सं०–319/2026

भरत यादव बनाम प्रेम सिंह आदि

अं० धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना–प्रेमनगर, झाँसी।

दिनांक–02.08.2026 (रविवासरीय अवकाश)/03.08.2026

1– दिनांक–02.08.2026 को रविवासरीय अवकाश होने के कारण पत्रावली आज दिनांक–03.08.2026 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० पर आदेश हेतु प्रस्तुत हुई।

2– प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० भरत यादव पुत्र जगदीश सिंह की ओर से घटनाक्रम के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कथन किया गया है–

"यह कि प्रार्थी मेन रोड खैलार, थाना बबीना जिला झांसी का निवासी है और बी०एच०ई०एल० झांसी में कार्यरत है।

यह कि प्रार्थी के साथ पूर्व मे दिनांक 08.04.2026 को अभियुक्तगण रविन्द्र यादव व राजेन्द्र यादव पुत्रगण रोमन सिंह यादव, श्रीमती मालती यादव पत्नी रोमन सिंह यादव, रोमन सिंह यादव पुत्र स्व० मोतीलाल, शैलेन्द्र प्रजापति पुत्र कृष्ण कुमार, सुमित जोशी पुत्र कमलेश जोशी समस्त निवासीगण सहकारी बैंक के पास खैलार थाना बबीना जिला झांसी ने गाली गलौज कर मारपीट की थी व जान से मारने की धमकी दी थी जिसके बावत प्रार्थी ने थाना बबीना में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

यह कि उपरोक्त रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से उपरोक्त अभियुक्तगण प्रार्थी से अत्यधिक बुराई व रंजिश मानने लगे और कई बार प्रार्थी पर उक्त मुकदमे मे राजीनामा करने का नाजायज दबाव बनाकर जान से मारने की धमकी दे चुके है।

यह कि प्रार्थी दिनांक 26.05.2026 को सुबह अपने घर मेन रोड खैलार थाना बबीना जिला झांसी से अपनी ससुराल न्यू सूर्यपुरम खातीबाबा के पास थाना प्रेमनगर झांसी की ओर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, मोटरसाइकिल पर पीछे अनूप पाण्डेय भी बैठे हुए थे। प्रार्थी सुबह करीब 09:30 बजे बिजौली स्टेशन से नगरा के रास्ते पर हाईवे पुल के नीचे, थाना प्रेमनगर जिला झांसी पहुंचा, तभी वहां पहले से घात लगाकर मौजूद अभियुक्तगण रविन्द्र यादव व राजेन्द्र यादव पुत्रगण रोमन सिंह यादव, रोमन सिंह यादव पुत्र स्व० मोतीलाल, शैलेन्द्र प्रजापति पुत्र कृष्ण कुमार, सुमित जोशी पुत्र कमलेश जोशी समस्त निवासीगण सहकारी बैंक के पास खैलार थाना बबीना जिला झांसी व अक्षय यादव पुत्र उमाशंकर निवासी ग्राम लहरठकुरपुरा थाना बबीना जिला झांसी ने प्रार्थी की मोटरसाइकिल के सामने आकर प्रार्थी को रोक लिया और रविन्द्र बोला साले मादरचोद तेरी इतनी औकात हो गयी कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया और अब बार बार कहने के बाद भी राजीनामा नहीं कर रहा है, प्रार्थी ने गालियां देने से मना किया तो उक्त सभी अभियुक्तगण एक राय होकर गंदी गंदी गालियां देते हुए प्रार्थी को लात घूसों चाटों से मारने लगे, जिससे प्रार्थी गाड़ी नहीं संभाल पाया और प्रार्थी व अनूप पाण्डेय जमीन पर गिर पड़े, जिस पर उक्त सभी अभियुक्तगण प्रार्थी को लातो से जोर जोर से मारने लगे व प्रार्थी के गले से सोने की एक तोले की जंजीर व जेब में रखे 5000/– रू० लूट लिये और रविन्द्र यादव ने प्रार्थी के सीने पर तमंचा लगा दिया व सभी अभियुक्तगण प्रार्थी से कहने लगे कि तूने हमारे

खिलाफ रिपोर्ट की है जिसमे हमारे 02 लाख रूपये खर्च हो गये हैं, आज तुझसे 02 लाख रूपये वसूल करके रहेंगे व सभी अभियुक्तगण प्रार्थी को मृत्यु का भय दिखाकर 02 लाख रूपये की नाजायज धन की मांग करने लगे। अनूप पाण्डेय, अनुज प्रजापति व अन्य राहगीरो ने घटना देखी और बड़ी मुश्किल से उक्त अभियुक्तगण से प्रार्थी को बचाया वरना उक्त अभियुक्तगण प्रार्थी को जान से मार डालते। जाते समय उक्त अभियुक्तगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि 03 दिन के अन्दर 02 लाख रूपये दे देना, वरना जान से मार देंगे। मारपीट में प्रार्थी को चोटें आई थी।

यह कि प्रार्थी उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना प्रेमनगर गया व लिखित प्रार्थना पत्र दिया, तो दीवानीजी ने प्रार्थी से कहा कि पहले अपनी चोटों की डॉक्टरी कराओ तब रिपोर्ट दर्ज की जावेगी।

यह कि प्रार्थी ने अपनी चोटों की डॉक्टरी दिनांक 26.05.2026 को जिला चिकित्सालय झांसी में कराई और प्रार्थी अपनी डॉक्टरी रिपोर्ट लेकर थाना प्रेमनगर गया तो दीवानजी बोले कि अभी दरोगाजी नहीं है, कल आना, और इसी प्रकार प्रार्थी को कई दिनों तक थाने के चक्कर लगवाते रहे और पुलिस थाना प्रेमनगर द्वारा प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।

यह कि तब प्रार्थी ने दिनांक 15.06.2026 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झांसी को प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक नं० EY425391127IN से प्रेषित किया जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के कार्यालय में प्राप्त हुआ लेकिन फिर भी प्रार्थी की रिपोर्ट थाना प्रेमनगर मे दर्ज नहीं की गई है।

यह कि प्रार्थी की उपरोक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना प्रेमनगर द्वारा दर्ज न किये जाने से उपरोक्त अभियुक्तगण के हौसले बुलन्द हो गये हैं। उपरोक्त अभियुक्तगण आये दिन प्रार्थी से नाजायज धन की मांग कर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन उपरोक्त अभियुक्तगण के भय व आतंक के कारण भयभीत व आतंकित है। नाजायज धन की मांग व जान से मारने की धमकियों के वीडियो प्रार्थी के पास सुरक्षित हैं।

यह कि अभियुक्त सं0–1 रविन्द्र यादव आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। रविन्द्र यादव के विरूद्ध अवैध हथियारों की फैक्ट्री व अवैध शराब की बिक्री व अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज है। रविन्द्र यादव का क्षेत्र मे भय व आतंक व्याप्त है।

यह कि उपरोक्त अभियुक्तगण ने प्रार्थी को गंदी गंदी गालियां व जान से मारने की धमकी देकर, प्रार्थी पर राजीनामा करने का दबाव बनाया व अवैध रूपयों की मांग करके प्रार्थी के साथ बुरी तरह मारपीट की गई और प्रार्थी की सोने की चेन व 5000/– रू० लूट लिये हैं और उक्त अभियुक्तगण अभी भी प्रार्थी को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उपरोक्त अभियुक्तगण ने प्रार्थी के साथ गम्भीर व संज्ञेय अपराध कारित किया है, प्रार्थी को उक्त अभियुक्तगण से जान का खतरा है, प्रार्थी अत्यधिक भयभीत व परेशान है, फिर भी थाना प्रेमनगर की पुलिस प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। तब मजबूरीवश प्रार्थी न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र के साथ श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को भेजे गये प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.06.2026 की प्रतिलिपि, असल रजिस्ट्री रसीद, पुलिस थाना प्रेमनगर मे दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.05.2026 की फोटोकॉपी, प्रार्थी की असल इंजरी रिपोर्ट, मु0अ0सं0–104/2026 धारा–191(2), 331(3), 333, 115(2), 352, 351 (3) बी०एन०एस० थाना–बबीना झांसी की FIR की फोटोकॉपी, मु०अ०सं०– 122/2022 धारा–60 (1) आबकारी अधि० थाना–बबीना झांसी की FIR की फोटोकॉपी एवं मु0अ0सं0–179/2024 धारा–3, 5, 25 आर्म्स एक्ट थाना–बबीना झांसी की FIR की की फोटोकॉपी संलग्न है।

यह कि उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी के 5000/– रू० व एक तोले की सोने की जंजीर जबरदस्ती लूट ली गई है, जिसे बरामद कराया जाना पुलिस द्वारा ही

सम्भव है। इस कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाकर विवेचना कराया जाना न्यायसंगत है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि अभियुक्तगण रविन्द्र यादव व राजेन्द्र यादव पुत्रगण रोमन सिंह यादव, रोमन सिंह यादव पुत्र स्व० मोतीलाल, शैलेन्द्र प्रजापति पुत्र कृष्ण कुमार, सुमित जोशी पुत्र कमलेश जोशी समस्त निवासीगण सहकारी बैंक के पास खैलार थाना बबीना जिला झांसी व अक्षय यादव पुत्र उमाशंकर निवासी ग्राम लहरठकुरपुरा थाना बबीना जिला झांसी के विरूद्ध धारा–191(2), 115(2), 352, 351(3), 308(5), 310(2), 311 BNS–2023 के अन्तर्गत थाना–प्रेमनगर झांसी में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराये जाने हेतु थानाध्यक्ष प्रेमनगर झांसी को आदेशित किये जाने की कृपा की जावे। प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।"

3– प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में शपथपत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी को प्रेषित प्रार्थनापत्र मय डाक रसीद दाखिल किये हैं।

4– प्रार्थनापत्र पर संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या में सारतः कथन है कि प्रार्थना पत्र के संदर्भ में जाँच करने में यह पाया गया कि दिनांक–26.05.2026 कि कही गयी घटना असत्य व निराधार है। आख्यादाता/उपनिरीक्षक द्वारा आसपास के लोगों इन्द्रपाल पुत्र वान सिंह पाल, निवासी–बल्लमपुर, बिजौली, प्रेमनगर व नरेश पुत्र हरिश्चन्द्र, निवासी–डगरिया ने ऐसी किसी घटना से इंकार किया है। आख्या में यह भी अंकित है कि रेलवे स्टेशन के पास लगे कैमरे तथा स्टेशन में रोड पर लगे कैमरे को चेक करने पर घटना के विषय में कोई फुटेज प्राप्त नहीं हो सके। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि थाना बिजौली में आवेदक के खिलाफ रविन्द्र यादव ने जमीन विवाद आदि के मामले में मु०अ०सं०–154/2016 व 111/2026 पंजीकृत कराया है तथा आवेदक द्वारा भी मु०अ०सं०–104/2026 पंजीकृत कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक व विपक्षीगण के मध्य पुरानी रंजिश है। विपक्षीगण समस्त की लोकेशन अलग–अलग दिखाई दे रही है। जाँचोपरांत पाया गया कि आवेदक विजय गुप्ता द्वारा लगाये गये आरोप पेशबन्दी में लगाए गये हैं। आरोप की पुष्टि नहीं होती है, आरोप असत्य व निराधार हैं।

5– प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के साथ न केवल मारपीट की गयी, वरन् गले से सोने की ज़ंजीर तथा जेब में रखे 5,000/– रूपये लूटे गये तथा तमंचे के बल पर 2,00,000/– रूपये की अवैध माँग की गयी। प्रकरण में बरामदगी तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना आवश्यक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की याचना की गयी है।

6– पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7– वर्तमान न्यायालय उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1983 की धारा–2(घ) सपठित धारा–6 व 7 के अंतर्गत अधिनियम में *'अनुसूचित अपराध'* के संबंध में अनन्य रूप से अधिकारिता प्राप्त न्यायालय है। वर्तमान न्यायालय को किसी प्रकरण में विचारण अथवा प्रसंज्ञान की अधिकारिता मात्र उस स्थिति में है, जबकि उक्त अधिनियम की धारा–2 (ग) के अंतर्गत परिभाषित *'अनुसूचित अपराधी'* द्वारा अधिनियम की धारा–2 (ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट *'अनुसूचित अपराध'* को कारित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 2(ख) तथा (ग) निम्नवत् हैः–

(ख) किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र के संबंध में, *"अनुसूचित अपराध"* का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस अपराध से है, जो किसी अनुसूचित अपराधी द्वारा किया जाता है।

(ग) *"अनुसूचित अपराधी"* का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो लूट या डकैती उसी रूप में या किसी अनुसूचित अपराध से इस प्रकार संसक्त रूप में, कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हों, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों, करता है या किया है या करने का या करने के प्रयास का अभियुक्त है।

8– उक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह पूर्ण स्पष्ट है कि वर्तमान न्यायालय को किसी प्रकरण में प्रसंज्ञान अथवा अन्य विधिक कार्यवाही करने की अधिकारिता मात्र उस स्थिति में है, जबकि

कोई व्यक्ति लूट या डकैती को उक्त रूप में अथवा अनुसूचित अपराध से इस प्रकार संसक्त रूप में कारित करता है कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, अथवा इनका प्रयास करता है अर्थात् वर्तमान न्यायालय की अधिकारिता मात्र उस स्थिति में उत्पन्न होती है, जबकि प्रकरण में लूट या डकैती कारित की गयी हो अथवा उसका प्रयास किया गया हो अथवा अनुसूचित अपराधी द्वारा अनुसूचित अपराध कारित किया गया हो।

9– वर्तमान प्रकरण में प्रार्थना पत्र में अपराध की दो घटनाएँ अंकित की गयी हैं। प्रथम घटना दिनांक–08.04.2026 की है, जिसमें लूट अथवा डकैती किये जाने का कोई भी तथ्य अंकित नहीं है। पश्चातवर्ती घटना दिनांक–26.05.2026 की अंकित है। घटनाक्रम के अवलोकन से प्रकट होता है कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के साथ कथित मारपीट, प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के खिलाफ लिखाए गये मुकदमें में समझौतानामा ना किये जाने के कारण की गयी थी। उक्त मारपीट के अनुक्रम में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की ज़ंजीर व रूपये लूटने का कथन है, जिसके आलोक में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि घटनाक्रम में धारा 309 बी०एन०एस०, 2023 का अपराध कारित किया गया है तथा उक्त अपराध के कारित होने के कारण प्रकरण में वर्तमान न्यायालय को क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है।

10– लूट की परिभाषा धारा–309 बी०एन०एस० में अंकित है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सब प्रकार की लूट में या तो *'चोरी'* होती है या *'उद्दापन'*।

11– धारा–309 बी०एन०एस० के अनुसार, *'चोरी'* उस परिस्थिति में लूट होती है, जबकि चोरी को करने के लिये, या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में, अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उपहति या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। उक्त प्रावधान के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि घटनाक्रम में पीड़ित की मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध अथवा उसका भय अथवा इन सबका प्रयत्न करने का उद्देश्य चोरी करना अथवा चोरी की सम्पत्ति को अभिप्राप्त करना या ले जाने का प्रयत्न करना, होना चाहिए। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने **इन्द्रासन कुएर बनाम सियाराम पाण्डेय, 1970 सी०आर०एल०जे० 647** की विधि व्यवस्था में यह स्पष्ट अभिनिर्णीत किया है कि लूट (विधि व्यवस्था 390 भा०दं०सं० के सन्दर्भ में पारित है, जो 309 भा० न्याय संहिता के समान है) की परिभाषा के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि आपराधिक बल का प्रयोग/हमला अथवा इसका प्रयास, चोरी करने अथवा चोरी से अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने हेतु होना चाहिए। मात्र यह तथ्य कि हमला तथा चोरी एक ही संव्यवहार के दौरान की गयी थी, लूट के अपराध के साबित होने के लिये पर्याप्त नहीं है। हमला/आपराधिक बल का प्रयोग चोरी के अपराध को सुगम बनाने के उद्देश्य से किया जाना आवश्यक है*("From the definition, it is quite clear that there should be use of force or attempt to use force for the purpose of committing theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft. Mere fact that the assault and the theft took place in the same transaction is not enough. The assault must be to facilitate commission of theft.")*। समान विधिक सिद्धान्त **माघाजी बनाम राज्य, AIR 1953 Sau 85** में प्रतिपादित किया गया है *("The words 'for that end' in Section 390 clearly mean that the hurt caused must be with the object of facilitating the committing of the theft or must be caused while the offender is committing theft or is carrying away or is attempting to carry away property obtained by the theft. It does not merely mean that the assault or the hurt must be caused in the same transaction or in the same circumstances.")*।

12– यदि प्रार्थना पत्र में अंकित घटनाक्रम को सत्य मान भी लिया जाये, तो भी घटनाक्रम के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी पर आपराधिक बल का प्रयोग अथवा हमला, वस्तु (ज़ंजीर अथवा रूपये) की चोरी करने के विशिष्ट आशय से नहीं किया गया था वरन् उक्त कथित हमला अथवा आपराधिक बल का प्रयोग अथवा मारपीट, पूर्व के मुकदमों में समझौता ना किये जाने के कारण अथवा समझौते हेतु दबाव बनाने के आशय से की गयी। उक्त विधि व्यवस्था के अनुसार यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी से मारपीट, उक्त कारण की गयी तो इस मारपीट के

घटनाक्रम में प्रार्थी की जेब से रूपया अथवा ज़ंजीर लेना *'लूट'* के अपराध के अंतर्गत नहीं आता है।

13– इसी प्रकार, धारा–309 बी०एन०एस० के अनुसार, लूट, *उद्दापन* के अपराध के अन्तर्गत भी कारित हो सकता है, किन्तु स्वयं उक्त धारा के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त स्थिति में उद्दापन का अपराध कारित होना लूट के अपराध की आवश्यक शर्त है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने **इन्द्रासन कुएर बनाम सियाराम पाण्डेय, 1970 सी०आर०एल०जे० 647** की विधि व्यवस्था में यह स्पष्ट अभिनिर्णीत किया है कि उद्दापन (extortion) के अपराध का एक आवश्यक अवयव यह है कि पीड़ित को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति आदि देने के लिए उत्प्रेरित किया जाए। अर्थात्, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति आदि का हस्तांतरण पीड़ित की सहमति से होना चाहिए, लेकिन यह सहमति उसे किसी नुकसान का भय दिखाकर प्राप्त की गई हो। चोरी के विपरीत, उद्दापन में सहमति का तत्व होता है, जो निसंदेह पीड़ित को नुकसान का भय दिखाकर प्राप्त किया जाता है। उद्दापन में, पीड़ित को नुकसान का भय दिखाकर उसकी इच्छाशक्ति को दबाया जाता है। किसी संपत्ति को ज़बरदस्ती छीन लेना, इस परिभाषा के दायरे में नहीं आता है। यह साबित करना ज़रूरी है कि पीड़ित को नुकसान का भय दिखाकर अपनी संपत्ति देने के लिए मजबूर किया गया था *("So one of the necessary ingredients of the offence of extortion is that the victim must be induced to deliver to any person any property or valuable security, etc. That is to say, the delivery of the property must be with consent which has been obtained by putting the person in fear of any injury. In contrast to theft, in extortion there is an element of consent, of course, obtained by putting the victim in fear of injury. In extortion the will of the victim has to be overpowered by putting him in fear of injury. Forcibly taking any property will not come under this definition. It has to be shown that the person was induced to part with the property by putting him in fear of injury.")*।

14– प्रा०पत्र में अंकित घटनाक्रम में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की जेब से रूपया व गले से चेन निकाल लेना बताया गया है। घटनाक्रम में प्रार्थी को भय में डालकर सहमति से सम्पत्ति देने को मजबूर किये जाने का कोई तथ्य अंकित नहीं है। प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी से 2,00,000/– रूपये की माँग करना अवश्य कहा गया है किन्तु भय के अधीन होकर उक्त रूपयों को विपक्षीगण को दिये जाने का कोई तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है। संपत्ति को विपक्षीगण को प्रदान न किये जाने के फलस्वरूप घटनाक्रम में उद्दापन के माध्यम से विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी से लूट का अपराध कारित किया जाना नहीं माना जा सकता।

15– प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण का अनुसूचित अपराधी होने का कोई तथ्य अंकित नहीं है। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा कथित रूप से किये गये कृत्यों में लूट के आवश्यक अवयवों के उपस्थित न होने के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रकरण वर्तमान न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र के कथनों में *'लूट'* अथवा *'डकैती'* के अपराध के आवश्यक अवयवों का अभाव होने के कारण प्रार्थना पत्र के संदर्भ में कार्यवाही की अधिकारिता वर्तमान न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

16– प्रार्थना पत्र में वर्णित घटनाक्रम के अंतर्गत विपक्षीगण द्वारा कारित कृत्यों में वर्तमान न्यायालय के द्वारा प्रसंज्ञान योग्य अपराध के न होने के कारण, क्षेत्राधिकारिता के अभाव में प्रार्थी विजय गुप्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी विजय गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस० एस० **निरस्त** किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–03.08.2026

(अनुभव द्विवेदी)
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०),
झाँसी।
जे०ओ० कोड–यू०पी० 1637

आशुलिपिकः–अभय कुमार